

राजस्थान --सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक / नर्सिंग / नर्स-2 / एसीपी / ए-782 / 2018 / दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ0 14(1) एफ.डी / नियम / 2013-11 दिनांक 28.06.13 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15 (1) एफ.डी / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रायधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्स-2 जिन्होंने 09, 18 एवं 27 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि स गिनानुसार आशासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है -

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	प्राप्त कर रहे हैं मैट्रिक्स लेबल	देय हैं मैट्रिक्स लेबल
1	कृष्ण कुमार गुप्ता	जयपुर	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
2	बबलू सिंह	जयपुर	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
3	वेदप्रकाश चौधरी	अजमेर	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
4	सतीश कुमार यादव	अजमेर	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
5	अनुराधा गुप्ता	अजमेर	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
6	ललित कुमार चन्देल	भीलवाड़ा	12.08.09	12.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
7	विनोद कुमार	हनुमानगढ़	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12
8	पवन कुमार आर्य	हनुमानगढ़	11.08.09	11.08.18 09 वर्ष	L-11	L-12

नोट:- यदि किसी कार्मिक के दिनांक 1.6.2002 के पश्चात तीसरी संतान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

—sd—

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक / नर्सिंग / नर्स-2 / एसीपी / ए-782 / 2018 / 1437

दिनांक:- 30-10-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन, जयपुर।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रचारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
5. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।